SHRI R K. ANAND: Yes; Sir, I am satisfied.

श्री राजू परमार: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गुजरात में जो वीवर्स रजिस्टर्ड को-ऑपरेटिव सोसायटीज हैं, उनमें से कई सोसायटीज को रिबेट नहीं दी जा रही है। वहां पर जो अच्छी सोसायटीज काम कर रही हैं, उन्हें रिबेट नहीं मिल रहा है, साथ ही वहां की गुजरात सरकार की ओर से उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया है। क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है? यदि जानकारी है तो उसका ब्यौरा आप हमें दे दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद: सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम साल भर तक दस प्रतिशत रिबेट देते हैं। यह के० वी० आई० सी० देती है। गांधी जयंती के बाद 108 दिन की बीस प्रतिशत रिबेट दी जाती है। इस तरह से के० वी० आई० सी० के पास लगभग सात करोड़ रिबेट अभी बाकी है, अन्य राज्यों में लगभग छप्पन करोड़ रिबेट बाकी है। सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कुछ तकनीकी आधार पर, क्योंकि भारत सरकार के पास, के० वी० आई० सी० के पास, रिबेट देने के लिए हमारे पास काफी पैसा है, यदि तकनीकी आधार पर, ऑडिट के आधार पर हमारे पास तथ्यात्मक विचार आता है, तो हम उसे पुन: रिबेट दे देते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने गुजरात का प्रश्न पूछा है, मैं इसकी जानकारी उन्हें अलग से दे दूंगा।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति जी, 513 संस्थाएं हैं, जिन्हें उन्होंने कामगारों के हितों के लिए रिबेट दी थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस रिबेट को दिए जाने के बाद खादी के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? रिबेट देने का मतलब है कि कामगारों को वहां बराबर काम मिले और खादी के उत्पादन में वृद्धि हो। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन 513 संस्थाओं को, जिन्हें आपने दस प्रतिशत की रिबेट दी है, इससे खादी के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

श्री सभापति: अभी इस समय वे क्या जवाब देंगे? अगर आप जवाब देने वाले होते तो क्या आप जवाब दे देते?

श्री महावीर प्रसाद: सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैंने अभी-अभी कहा है कि अगर ये जानकारी चाहते हैं तो हम इन्हें दे देंगे।

श्री सभापति: आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है।

*587. [The questioner Shri S.P.M. Syed Khan was absent for answer *vide* page 47].

Agricultural labourers

*588. SHRI NAND KISHORE YADAV: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether a study has been done on the increasing unemployment of agricultural labourers in non-seasonal periods;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) the steps taken/being taken by Government to utilise such labour in non-agricultural areas?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI K. CHANDRASEKHAR RAO): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Ministry of Labour & Employment has not carried out any such study. However, as per the labour force survey carried out by the National Sample Survey Organisation, around 88.6% of the usual status workers engaged in agriculture in rural areas could find more or less full time work during the year 1999-2000.

Government is targeting creation of around 5 crore employment opportunities duirng the 10th Plan period with special emphasis on labour intensive sectors such as agriculture, irrigation, agroforestry, small and medium enterprises, information communication technology, tourism and other services.

Government is also implementing various non agricultural employment generation programmes in rural areas which include Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY), Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana (SJGSY), Prime Minister Gram Sadak Yojana (PMGSY), Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY), etc. Besides these, a National Rural Employment Guarantee Bill has been introduced in Parliament, which provides for 100 days of employment in a year for poor families in the rural areas. A food for work programme has already been launched in selected backward districts of the country. Apart from this, State Governments also implement various programmes for providing work to them during non agricultural seasons.

श्री नंद किशोर यादव: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं। अपने आंकड़ों में मंत्री जी ने कहा है कि श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार सन् 1999 और 2000 में 88.6 प्रतिशत मजदूर, जो खेती के काम में लगे हुए हैं, उन्हें रोजगार देने का काम किया गया है। स्थिति इसके विपरीत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें करोड़ों लोग खेती के काम में लगे हुए हैं। खेती में वर्ष में केवल 2 या 3 माह ही उनको काम मिल पाता है, शेष समय में उनको काम का अवसर नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से खेती

में लगे मजदूरों का तेजी से महानगरों की तरफ पलायन हो रहा है, जिससे महानगरों पर बोझ पड़ रहा है और इससे कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कृषि कार्य में लगे लोगों का गांवों से पलायन न हो, इसके लिए गांवों में रोज़गार देने के क्या प्रयास सरकार कर रही है?

श्री के० चन्द्रशेखर राव: सभापति जी, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि जब gap period होता है या off-season होता है, उस समय इन लोगों को काम देने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार ने ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में एक बिल भी पार्लियामेंट में पारित करा दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित Employment Guarantee Scheme डेढ़ सौ जिलों में launch की गई है, वह काम भी चालू है। ऐसी कई स्कीमें हमारी राज्य सरकारें भी चलाती हैं और केन्द्र सरकार की तरफ से, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और अन्य मंत्रालयों की तरफ से off-season में किसानों को और मजदूरों को काम दिलाने के लिए rural areas में सरकार अनेक तरह के कार्यक्रम चला रही है, जैसे कि हमारी संपूर्ण रोजगार योजना है, ग्रामीण क्रांति योजना है, There are many other programmes like these, which are implemented for providing employment to agricultural labourers, who lose their employment in the off-season period.

श्री नंद किशोर यादव: सभापति जी, मेरा निवेदन यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों हेतु 100 दिनों का रोजगार देने की बात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक में कही गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस रोजगार योजना में जो खेतिहर मजदूर और महिलाएं हैं, जो खेती के काम में लगे हैं, क्या उनको भी काम करने का अवसर मिलेगा? इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों तक तो रोजगार मिलेगा, लेकिन 100 दिनों के बाद, 265 दिनों के लिए वे खेतिहर मजदूर, चाहे वे पुरुष हों, या महिलाएं हों, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था रहेगी?

श्री के० चन्द्रशेखर राव: सभापति जी, यह बिल केवल 100 दिनों तक ही रोजगार देने के लिए सीमित नहीं है, कम से कम 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास इस बिल के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी कई और स्कीमें हैं, जिनके तहत मजदूरों को काम मिलता रहता है।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, in his reply, the hon. Minister has mentioned about different schemes which would provide employment for the agricultural labourers. But it remains a fact that the number of working days is coming down; these workers do not get employment. Not only that, they are not receiving the minimum wages that are announced for whatever employment they are getting. Even under the programmes, which have been mentioned here in this reply, the

Government-sponsored employment-generation programmes, they are not getting the minimum wages that were announced.

What steps are the Government going to take for ensuring minimum wages for the agricultural workers? Are you contemplating any kind of legislation to ensure minimum wages for agricultural labourers?

श्री के० चन्द्रशेखर राव: सभापति महोदय, यह जो agricultural labour का issue है, as for back as the year 1975 से सारे देश में इस पर काफी चर्चा हो रही है। In so many forums, so many times, the Labour Ministers' Conferences were called, the Government of India contemplated on this issue and discussed this issue so many times. Bills were prepared. लेकिन इसमें Government has received so many divergent views on this issue, such as, whether it should make an entry into the agricultural sector, whether this is going to create social tensions, the industrial atmosphere, and so on. These were the apprehensions expressed by various State Governments also. That is why, the hon. Prime Minister has already appointed a three-man commission, the Arjun Sen Gupta Commission, to look into the whole affair and submit a report to the Government.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, this issue has been pending for more than 25 years. Let there be a time limit. You have been negotiating between States and various organizers, but have not come to any conclusions. Hence, a time limit needs to be fixed.

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Let me also submit to you that this is the major sector of the workforce of our country. About twenty plus crore workers are working in this field. So, we cannot be hasty on this. The Report...(*Interruptions*)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: It has been pending for 25 years. It is unfair and unfortunate ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Now, the Committee has been appointed. ...*(Interruptions)*...

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: I am only trying to tell the facts. Let the Arjun Sen Gupta Commission's Report be submitted to the Government, then we will discuss it with all the State Governments. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: My question is very clear. In the Government-sponsored employment generation schemes, will you ensure the announced minimum wages? The Government is announcing the minimum wages.

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: In the next question, there is a point of minimum wages, and I will try to explain this point to the house. As and when the Government receives the Report of the Arjun Sen Gupta Commission, which is also looking into the agricultural labour issues, the Government will come forward with a proper Bill for providing all securities and all protection to the workforce who are working in the agricultural sector.

डा॰ फागुनी राम: सभापति महोदय, मैं, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा है कि 1999 और 2000 के दौरान न्यूनाधिक रूप से पूर्णकालिक काम मिला है, तो न्यूनाधिक कहने से इनका क्या मतलब है, इसे स्पष्ट किया जाए और कौन-सा काम इन लोगों को मिल सका, जो पूरा काम है? इसलिए कि एक परिवार के सारे लोग मजदूर नहीं होते हैं। उस परिवार के जो बच्चे होते हैं, मजदूरी कमाते हैं, वही लोग सभी लोगों का पालन करते हैं। एक दूसरी बात हम यह जानना चाहते हैं कि जो लोग खेती में काम करते-करते वृद्ध हो जाते हैं और खेती के लायक नहीं रहते हैं और उनके साथ ऐसा भी नहीं होता कि बच्चे उनको देखते हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: क्वैश्चन कीजिए।

डा॰ फागुनी राम: उन वृद्धों के लिए क्या सरकार कोई काम करना चाहती है क्या इनके पास उनके लिए कोई प्रोग्राम है?

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

डा॰ फागुनी राम: ताकि उनको जीने के लिए न्यूनतम खाना, कपड़ा और दवाइयां मिल सके।

श्री सभापति: वे कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: एक्ज़ैक्टली, सर, वह रिपोर्ट आ जाए तो इंटीग्रेटेड तरीके से हर चीज के बारे में सोचा जा सकता है। जैसा माननीय सदस्यों ने बताया है, उन चीज़ों को सरकार ध्यान में रखेगी।

श्री सभापति: ठीक है, नेक्स्ट क्वैश्चन, 589।